न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 02/2025

शहजाद अली अंसारी (बबलू भाई) पुत्र श्री ओसाफ अली अंसारी
निवासी 279–बी वक्फ नगर, कोटा ।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलकटर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 02.06.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि शहजाद अली अंसारी (बबलू भाई) पुत्र श्री ओसाफ अली अंसारी निवासी 279–बी वक्फ नगर, कोटा ने दिनांक 21.02.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दिनांक 20.2.2025 जन सुनवाई केन्द्र रसीद संख्या 12612 पर की गई कार्यवाही की निम्न सूचना चाही गई थी –

1. संलग्न रिपोर्ट में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई व किन किन व्यक्तियों के बयान लिये गये विस्तृत पत्रावली उपलब्ध करवाई जावें ।
2. क्या अतिकमी को नोटिस दिया गया यदि हां तो उसकी पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।
3. क्या अतिकमी द्वारा कोई दस्तावेज पेश किये गये, यदि हां तो उसकी पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये ।
4. प्रार्थना पत्र में जिस जिस विभाग को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया उस उस विभाग से क्या जवाब पेश किया गया उसकी पत्रावली उपलब्ध करवाई जाये एवं प्रत्येक विभाग द्वारा लिखी गई नोट शीट की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाये ।
5. इतने दिन हो जाने के बाद भी किसी भी स्तर की कोई कार्यवाही नहीं की गई, देरी का कारण स्पष्ट किया जाये ।
6. उपरोक्त विषय में जांच जारी होने का बहाना बनाकर अधिनियम 2005 की धारा 8(1) एच के अंतर्गत सूचना अदेय का बहाना ना बनाया जाये जो भी प्रकरण में प्रगति हुई है चाहे अधूरी सूचना हो उपलब्ध करवाई जाये । प्रार्थी कभी भी जांच प्रभावित नहीं करेगा । जांच में सहयोग ही करेगा । अतिकमी ही जांच प्रभावित कर सकता है ।

आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त चाही गई सूचना नहीं मिलने पर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से वांछित टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा जाने पर प्रथम अपील/प–29/2025/174 दिनांक 30.5.2025 से टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में वांछित सूचना का सम्बन्ध सतर्कता अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को पत्र लिखा गया । सतर्कता अनुभाग के पत्रांक/14100216 दिनांक 11.3.2025 से अवगत कराया कि सूचना कुल 3 पृष्ठों पर उपलब्ध है । अतः आवेदन से तीस दिवस के भीतर ही इस कार्यालय के पत्रांक/78 दिनांक 18.3.2025 से आवेदक श्री शहजाद अली अंसारी को 3 पृष्ठों के हिसाब से 06/– रूपये राजकोष में जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया जो कि आदिनांक तक आवेदक द्वारा जमा नहीं किये गये । यदि आवेदक नियमानुसार शुल्क जमाराज करवाता है तो सूचना उपलब्ध करवा दी जावें । चूंकि आवेदक को 30 दिन पूर्व से ही शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है । इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें । अपीलार्थी को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया किन्तु आवेदक अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है ।

जिला कलक्टर
कोटा

आवेदक अपीलांट द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह सतर्कता अनुभाग से प्राप्त की जा चुकी है, किन्तु आवेदक को नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु पत्र दिनांक 18.03.2025 से लिखा जाने उपरान्त शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है । अपीलार्थी इस अपील में भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करादी जावें ।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा